

## प्रेस नोट दिनांक-29.01.2021

(1). ऑपरेशन क्लीन के क्रम में 20000/- रुपये का इनामी संपत उर्फ शिव संपत पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक डीबीबीएल गन एवं पांच कारतूसों के साथ गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में श्री वीरेंद्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 29.01.2021 को समय सुबह .05:10 बजे 20,000/- ₹ का इनामी हनीफ गैंग का सदस्य संपत उर्फ शिव संपत पुत्र श्याम मवासी निवासी पुराना बहिलपुरवा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को कोट तीर्थ देवांगना घाटी के पास से पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक अदद डीबीबीएल गन 12 बोर, दो जिंदा कारतूस, दो मिस कारतूस तथा 01 खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुठभेड़ एवं बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 43/21 धारा 307 भादवि0 व 12/14 डीए एक्ट व मु0अ0सं0 44/21 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। यह अभियुक्त थाना बहिलपुरवा के मु0अ0सं0 52/20 धारा 307/323/504/506 भादवि0 में फरार चल रहा था तथा हनीफ गैंग का सदस्य रहा है इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ₹20000 का इनाम घोषित किया गया था।

### बरामदगी:-

1. एक अदद डीबीबीएल गन 12 बोर
2. दो जिंदा, दो मिस तथा 01 खोखा कारतूस 12 बोर

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. श्री वीरेंद्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी
2. उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा
3. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार मौर्य
4. आरक्षी सर्वेश कुमार मौर्य
5. आरक्षी सतीश यादव
6. आरक्षी चालक श्याम करन मौर्य

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री वीरेंद्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त हंसराज पुत्र रामलाल निवासी कछारपुरवा मजरा कोलगदहिया थाना कोतवाली कर्वी को एक बिना नम्बर के अपाचे मोटरसाइकिल पर को 10 लीटर कच्ची शराब ले जाते हुये शम्भू पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 42/2021 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। बरामदशुदा मोटरसाइकिल को सीज किया गया।

### बरामदगी:-

1. 10 लीटर कच्ची शराब
2. बिना नम्बर के अपाचे मोटरसाइकिल

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव थाना कोतवाली कर्वी
2. आबकारी महिला आरक्षी कविता सिंह

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपहृतों एवं गुमशुदाओं की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री हरीसिंह एवं उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 609/20 व 617/20 धारा 363 भादवि0 पीडिताओं को सकुशल बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.11.2020 को तथा दिनांक 23.11.2020 को प्राप्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 609/20 व 617/20 धारा 363 भादवि0 पंजीकृत किया गया। पीडिताओं की बरामदगी हेतु उ0नि0 श्री हरीसिंह एवं उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये पीडिताओं की दमन दीव में लोकेशन मिलने पर उ0नि0 श्री हरी सिंह व उनकी टीम द्वारा दमन दीव पहुंचकर छापा मारा गया जो कि पुलिस की सूचना पाकर दमन दीव से चलकर छिपने का प्रयास किया, पुलिस टीम द्वारा पीछा करके कर्वी रेलवे स्टेशन कर्वी से बरामद किया गया। बाद मेडिकल परीक्षण परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया।

**बरामदगी करने वाली टीम:-**

1. उ0नि0 श्री हरी सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी आकाश कुमार
3. महिला आरक्षी नाजिया परमीन

(4). आज दिनांक-29.01.2021 को श्री अंकित मित्तल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट का वार्षिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा प्रतिसार निरीक्षक को निम्नलिखित आदेश निर्देश दिये गये-

(1). महोदय द्वारा क्वार्टर गार्ड में सलामी लेकर गार्ड का निरीक्षण किया। महोदय द्वारा स्टैण्ड टू की कार्यवाही करायी गयी। महोदय द्वारा सुधार हेतु गार्ड कमाण्डर को आवश्यक निर्देश दिये। महोदय द्वारा गार्ड रूम का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक को आवश्यक निर्देश दिये।

(2). शस्त्रागार के निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा रजिस्ट्रों का अवलोकन किया गया। मुख्य आरक्षी आर्मरी को शेष बचे हुए थानों का जी0पी0 लिस्ट से मिलान शीघ्र कराने एवं भौतिक सत्यापन करने हेतु निर्देश दिये। लम्बित फाइलों के शीघ्र निस्तारण कराने हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया। उपलब्ध कारतूसों का भौतिक सत्यापन हेतु निर्देशित किया। मुकदमों से सम्बन्धित कारतूसों के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी एवं निस्तारण हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देश दिये।

(3). जी0पी0 स्टोर के निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा जी0पी रजिस्टर, कोविड-19, टेन्ट एज रजिस्टर का अवलोकन किया गया। महोदय द्वारा निष्प्रयोज्य सामान को कन्डम कराने हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा प्रभारी जी0पी0 स्टोर को समस्त थाना/चौकी/कार्यालयों में उपलब्ध राजकीय सम्पत्ति का जी0पी0 लिस्ट से मिलान कर भौतिक सत्यापन करने एवं परिसर की साफ-सफाई हेतु एवं सामान को सही ढंग से रखवाने हेतु निर्देश दिये गये।

(4). महोदय द्वारा गणना कार्यालय हेतु वाहन स्टैण्ड बनवाने हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देश दिये गये।

(5). महोदय द्वारा गणना कार्यालय में लगे आर0ओ0 की मरम्मत कराने एवं गणना कार्यालय के पास पानी की टंकी की मरम्मत व साफ-साफ कराने हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया।

(6). महोदय द्वारा पुलिस लाइन में निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया गया। चिल्ड्रैन पार्क का निर्माण शीघ्र कराने हेतु प्रतिसार निरीक्षक को आवश्यक निर्देश दिये गये।

(7). महोदय द्वारा वैट कैन्टीन एवं आटा चक्की का निरीक्षण कर कैन्टीन संचालक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

निरीक्षण के दौरान श्री सुमेर सिंह प्रतिसार निरीक्षक, श्री कमलेश कुमार राव स्टेनो पुलिस अधीक्षक, उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह पीआरओ0, उ0नि0 (ए0पी0) श्री हरिदास वर्मा, उ0नि0 (ए0पी0) हबीबउल्ला, श्री कमल यादव प्रभारी परिवहन शाखा एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के क्रम में यातायात प्रभारी श्री घनश्याम पाण्डेय द्वारा आज दिनांक 29/01/2021 को कर्वी रोड बेज बस स्टैंड पर बस चालकों, ट्रक चालकों, टैम्पो एवम जीप चालको को एकत्र कर यातायात नियमों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए, सीटबेल्ट लगाने, नींद एवं नशे की हालत में गाड़ी न चलाने, निर्धारित लेन में ड्राइविंग करने तथा उचित जगह पर पार्किंग, महिला यात्रियों को सम्मान पूर्वक बस में बैठाने एवम गंतव्य तक पहुंचाने आदि के लिए जागरूक किया गया। साथ ही साथ मोटर साइकिल चालको को हेलमेट लगाकर तथा मोटरसाइकिल से सम्बंधित समस्त कागजातों को साथ लेकर चलने के लिए कहा गया। हेलमेट लगाकर न चलने वाले लोगों की जो दुर्घटना और क्षति हो रही है उन आकड़ों के सम्बंध में भी बताया गया। चालकों को एकत्र कर यातायात के नियमों के सम्बंध में शपथ भी दिलाई गई तथा यातायात नियमों से संबंधित पम्पलेट भी वितरित किये गए। यातायात नियमों का पालन न करने पर भारी संख्या में वाहनों का चालान किया गया इस दौरान पीटीओ श्री संतोष तिवारी तथा यातायात पुलिस कर्मी मौजूद रहे

(6). मिशन शक्ति के तहत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रूप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री अनिल कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी ओवेश खां द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ आनन्द द्वारा प्रभावी प्रस्तुती एवं प्रभावी वहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (रेप एवं पॉक्सो एक्ट) चित्रकूट द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 114/17 धारा 323/376354/504/506भादवि0 के नामित अभियुक्त लक्ष्मी उर्फ ननबुदाई निवासी हस्ता थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(7). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वलंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 29.01.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा इंडियन बैंक के आस-पास, एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा सीआईसी कर्वी में आयोजित प्रदर्शनी में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

एंटी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एंटी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।